फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती फेफाबाई | **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा –88 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 03/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 16.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प चंगेडी में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश कर वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीयां द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयां के पिता पन्ना पिता प्रताप मेघवाल के नाम भूमि दर्ज हैं। पन्ना के दो पुत्रीयां फेफा व बाबरी बाई हुई। पन्ना के कोई पुत्र नहीं हैं, पत्नी की भी मृत्यु होना बताया हैं। वर्तमान में बाबरीबाई की भी मृत्यु हो चुकी हैं। पन्ना की देखभाल वादीया फेफाबाई ने की। वर्तमान में फेफाबाई पन्ना की विधिक वारिस हैं। पन्ना द्वारा दिनांक 01.08.2001 को रजिस्टर्ड वसीयत पत्र वादीया फेफाबाई के पक्ष में निष्पादित करवाई गई। पन्ना की मृत्यु दिनांक 27.07.2002 को हो चुकी हैं। वादीयां द्वारा विधिक वारिस होने से वसीयत के आधार पर अपने नाम भूमि दर्ज कराने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में पन्ना के विधिक वारिसों में एकमात्र जायन्दा पुत्री हैं। खातेदार पन्ना पिता प्रताप मेघवाल की सेवा चाकरी करने से पन्ना द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत पत्र प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित की हैं। वादीयां के अलावा पन्ना का वर्तमान में कोई पुत्र–पुत्री/वारिस जीवित नहीं होना बताया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में पन्ना की भूमि को मौरूसी जायदाद होना बताया हैं। पन्ना की मृत्यु दिनांक 27.07.2002 को हो चुकी हैं। वादीयां खातेदार पन्ना की एकमात्र वारिस होने से एवं उसके पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित होने से वादीयां अपने नाम भूमि दर्ज कराने की अधिकारीणी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप वाद वादीयां अन्तर्गत धारा 88 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 1349, 1353 किता 2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि में खातेदार पन्ना पिता प्रताप मेघवाल के बजाय वादीयां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:[illegible]2:31 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती फेफाबाई पुत्री पना पत्नी डालचन्द मेहतर मेघवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।

...................वादीयां

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 03/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00004

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीयां अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 1349, 1353 किता 2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि में खातेदार पन्ना पिता प्रताप मेघवाल के बजाय वादीयां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:42:31 IST
Reason: SelfAttested